(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3871–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–11–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 102/अपील/2016–17.

सुन्दरलाल मिश्रा तनय श्री हीरालाल मिश्रा
निवासी ग्राम थनवरिया पोस्ट पुरवा तहसील
सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. गिरजा प्रसाद तनय विष्णदेव मिश्रा
2. सूर्यभान मिश्रा तनय रामेश्वर प्रसाद
3. रामकृष्ण मिश्रा तनय दारामेदर प्रसाद मिश्रा
   तीनों निवासी ग्राम थनवरिया, पोस्ट पुरवा
   तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06/04/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक गिरजाप्रसाद द्वारा संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार ने विधिवत सूचना पत्र जारी करने के उपरांत कार्यवाही की गई जिसमें आवेदक द्वारा

कार्यवाही स्थगित रखने बावत धारा 32 का आवेदन पेश किया, परन्तु वरिष्ठ न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश न होने से नायब तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 31–5–16 के द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आवेदन इस आधार पर स्वीकार किया कि उसके द्वारा अपील भूमि का विधिसम्मत सीमांकन कराया है एवं अपनी भूमि का भूस्वामी है। अनावेदकगण अप्राधिकृत कब्जा किए हुए है अतएव प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये। आवेदक अभिभाषक का यह तक मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदक द्वारा व्यहवार न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत कर दिया था इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार ने अंतिम आदेश पारित कर दिया। तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा आदेश पारित किये जाने तक व्यवहार न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत नहीं किया था। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सिरमौर जिला रीवा के व्यवहार वाद कमांक 15ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 02–8–2016 के द्वारा आवेदक सुन्दरलाल मिश्रा का आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है। अतः नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है विचारण न्यायालय में दिनांक 26–5–16 को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत तहसीदार द्वारा दिनांक 31–5–16 को अंतिम आदेश हेतु प्रकरण नियत किया था तथा दिनांक 31–5–16 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह माना कि आवेदक को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की अपील को समयबाधित होने से निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 05–11–2016 के द्वारा उचित पाते हुये स्थिर रखा है

और आवेदक की अपील खारिज की है। अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 05–11–2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर